

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।
पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्या:-160/2015 (2015/00137)75/केकड़ी

1. सुरेश पुत्र बरजंग जाति माली निवासी ग्राम पारा तहसील केकड़ी जिला
अजमेर।

अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- 1956 विरुद्ध अपर
जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 25.03.2015, प्रकरण संख्या 22/2014

उपस्थित:-

1. श्री राकेश अरोड़ा एडवोकेट अपीलांत की ओर से।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।



निर्णय

दिनांक:- 31.05.2019

1. यह अपील विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 25.03.2015, प्रकरण संख्या 22/2014 के विरुद्ध प्राप्त हुई है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तहसीलदार, केकड़ी ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)राज. भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 05.02.2013 को ग्राम पंचायत पारा में आयोजित प्रशासन गाँव के संग कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री सुरेश पुत्र बरजंग लाल जाति माली निवासी ग्राम पारा तहसील केकड़ी के पक्ष में ग्राम पारा स्थित सिवायचक अराजी खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.47 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि पेटा तालाब तथा पानी के भराव क्षेत्र में स्थित शिव नगर मौहल्ला की आबादी से लगती हुई है और धारा 16 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं इसलिए प्रार्थी का आवंटन आदेश दिनांक 05.02.2013 को निरस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र में बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी जाकर दिनांक 25.03.2015 को आवंटन के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 05.02.2013 को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 25.03.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गयी। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट को आराजीया खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.94 है. में से 047 हैक्टर का आवंटन विधिवत रूप से अन्य गाँव के व्यक्तियों के साथ आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में जाँच कर किया गया है एवं उक्त आवंटन अदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.07.2013 को नामान्तरण संख्या 1922 भर कर प्रस्तुत किया गया जिसे भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जाँच किया जाकर अंकन सही होना वर्णित किया है इसके बावजूद भी भू-अभिलेख निरीक्षक के अनुसार खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.47 हैक्टर पर पानी भरा हुआ होना व उक्त आराजीयात को तालाब पेटे में स्थित होना वर्णित करते हुए नामान्तरण किये जाने के आदेश पारित किये गये जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमे के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 03.11.2014 को उपरोक्त नामान्तरण को स्वीकृत किया जाना आवश्यक मानते हुए तहसीलदार, केकड़ी को अपीलांट की सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदकार कर समुचित रेकार्ड व मौके की पूर्ण जाँच के उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं जिसकी अनुपालना किये बिना तहसीलदार, केकड़ी द्वारा अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र नियम 14(4) प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने स्वीकार कर आवंटी के आवंटन आदेश दिनांक 05.02.2019 को निरस्त किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है।



अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1463 जो कि राजस्व अभिलेख अनुसार बारानी एवं काबिज काश्त आराजीयात है। उक्त आराजीयात के समीपवर्ती आराजीयात खसरा नम्बर 1464 व 1461 स्थित है, जो कि बंजरग लाल पुत्र गजानन्द माली की खातेदारी में दर्ज हैं एवं उक्त आराजीयात को सिंचित कराये जाने हेतु खातदार द्वारा खसरा नम्बर 1464 पर राज्य सरकार द्वारा अनुदानित योजना के तहत सिंचाई सुविधार्थ फार्म पॉण्ड का निर्माण कराया गया है एवं उक्त फार्म पाण्ड जो की पानी से भरा हुआ रहता है एवं खसरा नम्बर 1464 पर स्थित है, को मौके पर 1463 में होना वर्णित करने की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, केकड़ी द्वारा आवंटन के आधार पर खसरा नम्बर 1464 पर स्थित है, को मौके पर 1463 में होना वर्णित करने की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, केकड़ी द्वारा आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमे के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 03.11.2014 को उपरोक्त नामान्तरण को स्वीकृत किया जाना आवश्यक मानते हुए तहसीलदार, केकड़ी को अपीलांट की सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदकार कर समुचित रेकार्ड व मौके की पूर्ण जाँच के उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये पूर्व पारित निर्णय की अनुपालना किये बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के विपरीत आवंटित भूमि को पेटा तालाब की होना वर्णित करते हुए एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबंधित होना वर्णित कर किये गये आवंटन आदेश को निरस्त फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है। मान्नीय राजस्व मण्डल एवं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में मात्र तकनीकी आधारों पर लगभग चार वर्ष पश्चात आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निरस्त किया जाना किसी भी रूप से विधि सम्मत नहीं है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2015 निरस्त फरमाये जावें एवं प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 05.02.2013 को बहाल रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का उक्त खसरा नम्बर 1463 जमाबंदी में बाराणी-1 दर्ज है किन्तु मौके पर पेटा तालाब के अन्दर पानी के भराव क्षेत्र में स्थित है एवम् आराजी शिव नगर मौहल्ला की आबादी भूमि से लगवा हैं। ग्राम का समस्त पानी का बहाव उक्त खसरा में होने की रिपोर्ट के पश्चात ही तहसीलदार, केकड़ी ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1970 पेश किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर ने विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1970 को स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में दिनांक 05.02.2013 को ग्राम पारा के खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.47 है. भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।
6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील एवं अधीनस्थ न्यायालयों के रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा भिजवाया गया आवंटन फार्म संख्या 03 में आवंटी रमेश पुत्र बजरंग जाति माली के पक्ष में दिनांक 05.02.2013 में ग्राम पारा स्थित खसरा नम्बर 1463 रकबा 0.94 में से 0.47 है0 किस्म बाराणी-1 अंकित की हुई है। आवंटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.07.2013 को नामान्तकण संख्या 1922 भर कर प्रस्तुत किया गया था जिसके भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जाँच किया जाकर अंकन सही होना दिनांक 06.08.2013 को वर्णित किया है जिसमें तहसीलदार, केकड़ी ने आराजीयात को तालाब पेटे में स्थित होना वर्णित करते हुए नामान्तकरण खारिज किये जाने के आदेश दिये थे जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 03.11.2014 को नामान्तकरण को स्वीकृत किया जाना आवश्यक मानते हुए तहसीलदार, केकड़ी को अपीलांट की सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर समुचित रेकार्ड व मौके की पूर्ण जाँच के उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार, केकड़ी द्वारा अपर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 03.11.2014 की पालना करवायें बिना ही नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका मुख्य आधार पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तैयार बताया गया है जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं ना ही प्रार्थी/अपीलांट को इस बाबत् सूचित किया गया है केवल एक तरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा भी अपने द्वारा दिये गये नामान्तकरण आदेश दिनांक 03.11.2014 की पालना हुए बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। उपरोक्त विवचेन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर का




राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आदेश दिनांक 25.03.2015 निरस्त किये जाने एवं आवंटन सलाहकर समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.02.2013 को किया गया आवंटन आदेश बहाल रखे जाने योग्य है।


7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2015 निरस्त किया जाता है तथा आवंटन सलाहकर समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.02.2013 को किया आवंटन आदेश यथावत् रखा जाता है एवं प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति बाबत तहसीलदार, केकड़ी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब करें एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट पर विवेचन कर एवं अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।




(बी.एल.मेहरड़ा) 31/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. आदेश आज दिनांक 31.5.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(बी.एल.मेहरड़ा) 31/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर